

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर

क्रमांक:प.4(1-आर)()स्वा.के.रा.कृ.वि./सी/2022/01

दिनांक 02.03.2022

05-04-2022


कार्यालय आदेश

इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.4(1-आर)()स्वा.के.रा.कृ.वि./सी/2022/1178-1226 दिनांक 05.03.2021, की निरन्तरता में सूचित कर लेख है कि स्वायत्तशासी निकायो के लिए राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) वर्ष 2022-23 की प्रीमियम राशि रुपये 6710 से बढ़ाकर राशि रुपये 10500/- एक मुश्त जमा कराने के निर्देश राज्यसरकार से प्रदत्त है। अतः इस संबंध में निर्देश दिया जाता (4800 ग्रेड पे) L-12 तक के अंतर्गत वेतन पाने वाले कार्मिकों के मार्च-अप्रैल,2022 की वेतन से दो समान किस्तों में उक्त प्रीमियम की राशि काटी जायेगी तथा (4800 ग्रेड पे) L-12 से अधिक ग्रेड पे पानेवाले वाले कार्मिकों के माह मार्च-2022 के वेतन से एक मुश्त प्रीमियम राशि रुपये 10500/- प्रति कार्मिक कटौती की जायेगी।

||
(पवन कुमार कस्वां)
वित्तनियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/क्षे.निदेशक/प्रभारी अधिकारी/डीडीओ
2. कुलसचिव, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर
3. निजी सचिव कुलपति, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर
4. कोषाधिकारी, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर
5. नोडलअधिकारी / प्रभारी, CIMCA, को वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
6. रक्षित पत्रावली/सूचनापट्ट


(पवन कुमार कस्वां)
वित्तनियंत्रक